कार्यकारी सारांश

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के 30 विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखा परीक्षित संस्थाओं की व्यय और राजस्व जांच से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय शामिल हैं और इसमें ₹ 178.93 करोड़ के 15 अनुच्छेद एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे उल्लिखित हैः

I सामान्य

यह अध्याय लेखापरीक्षा की प्रक्रिया और सरकार/विभागों द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेपों के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करता है। महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करता है ताकि लेनदेनों की जांच की जा सके और नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन किया जा सके। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताएं शामिल होती हैं जो मौके पर ही निपटाई नहीं गईं। मार्च 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों का विश्लेषण बताता है कि इन विभागों के लिए सितंबर 2023 के अंत तक 5,418 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 65,853.84 करोड़ के 23,975 अनुच्छेद बकाया थे।

II खान एवं भूविज्ञान विभाग

यह अध्याय खान एवं भूविज्ञान विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा करता है।

"राजस्थान में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के क्रियान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

पीएमकेकेकेवाई को खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए शुरू किया गया था, जिसमें डीएमएफटी द्वारा एकत्रित निधि का उपयोग किया जाता है। राजस्थान सरकार ने पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन के लिए सभी जिलों में डीएमएफटी का गठन किया (9 जून 2016)। राजस्थान डीएमएफटी नियमों के अनुसार, डीएमएफटी का प्रबंधन गवर्निंग काउंसिल के पास है, जिसमें सभी ट्रस्टी शामिल हैं और इसका नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट करता है। कानूनी ढांचे, योजना निर्माण, लेखा और लेखापरीक्षा, डीएमएफटी अंशदान की मांग और संग्रह, खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव, जवाबदेही और पारदर्शिता तंत्र के व्यापक विश्लेषण से पता चला कि भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, राजस्थान सरकार ने डीएमएफ

ट्रस्टों को निर्देश जारी किए कि डीएमएफ ट्रस्ट निधि से स्वीकृति और भुगतान के लिए वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। इसके अनुसार, वित्त विभाग द्वारा कार्यों को मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने खनन-प्रभावित क्षेत्रों के व्यवस्थित और समयबद्ध विकास के लिए, बेसलाइन सर्वेक्षण और क्षेत्रीय रणनीतियों के आधार पर, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ तैयार करने का निर्देश दिया (जून 2022)। हालाँकि, राज्य सरकार ने इन प्रावधानों को शामिल करने के लिए राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 में संशोधन नहीं किया।

डीएमएफटी नियम, 2016 के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल को वित्तीय वर्ष शुरू होने से एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजनाएँ और बजट तैयार करके उन्हें अनुमोदित करना आवश्यक था। हालाँकि, ऐसी कोई योजना या बजट तैयार अथवा स्वीकृत नहीं की गयी, और वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच बिना किसी अनुमोदित कार्य योजना के ₹5,626.63 करोड़ की परियोजनाएँ स्वीकृत कर दी गईं।

सत्रह जिलों में वर्ष 2022-23 तक के वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षण पूर्ण हो गया। हालाँकि, फरवरी 2025 तक 16 जिलों में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक के 23 वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे। खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों को डीएमएफटी अंशदानों के लिए माँग और संग्रह पंजिका संधारण करनी थी; हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऐसी पंजिकाएं भौतिक रूप से संधारित नहीं की गयी थी। विभागीय ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस भी डीएमएफटी अंशदान एवं अंशदान के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर्शाने के लिए विकसित नहीं की गई थी।

यह पाया गया कि अधिशुल्क और डीएमएफटी की कार्य-वार कटौती की गई राशि न तो निर्माण विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई और न ही खान विभाग द्वारा इसकी मांग की गई। कार्य-वार विवरण के अभाव में, न तो खान विभाग और न ही लेखापरीक्षा, कटौती और जमा की गई राशि की सत्यता की पुष्टि कर सकी।

डीएमएफटी निधि में अंशदान के संग्रह, मिलान और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता जिम्मेदार थे। हालाँकि, डीएमएफटी निधि का मिलान यथोचित रूप से नहीं किया गया था। चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने एकत्रित डीएमएफटी अंशदान के आंकड़ों की जाँच की और निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय के आंकड़ों के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन किया, तो पाया कि भरतपुर को छोड़कर चयनित जिलों के आंकड़े मेल नहीं खाते थे।

अवैध खनन/परिवहन/भंडारण पर अधिशुल्क के रूप में ₹84.71 करोड़ की वसूली पर डीएमएफटी का ₹84.71 लाख का अंशदान, आवश्यकतानुसार संबंधित डीएमएफटी निधियों में जमा नहीं किया गया, जो कि वांछनीय था। डीएमजीओएमएस के आंकड़ों के अनुसार, 11.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 6,300 खनन पट्टे रद्द, समर्पण या समाप्ति के कारण अकार्यशील थे। हालाँकि, खनन किए गए गड्ढों को भरने के संबंध में कोई जानकारी डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित डीएमएफ ट्रस्टों ने खनन क्षेत्रों के भूमि

के पुनःस्थापन हेतु कोई परियोजना शुरू नहीं की थी। वित्तीय आश्वासन जमा करने और बकायादारों से खनिज लागत की वसूली के प्रावधानों के बावजूद, विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त खनन भूमि के पुनःस्थापन हेतु कोई पहल नहीं की गई।

राजस्थान डीएमएफटी नियमों का नियम 15(6) में प्रावधान है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक डीएमएफटी अद्यतन सूचना के साथ एक वेबसाइट का संधारण करेगा। इसमें डीएमएफटी की संरचना, खनन प्रभावित क्षेत्रों और जनसंख्या, त्रैमासिक अंशदान, बैठक एजेंडे, बैठक विवरण, कार्यवाही प्रतिवेदन, वार्षिक योजनाएं, बजट, कार्य आदेश और चल रही परियोजनाओं की प्रगति का विवरण शामिल रहेगा। हालांकि, यह जानकारी चयनित जिलों में उपलब्ध डीएमएफ-वेबसाइट पर न तो प्रकाशित की गई थी और न ही नियमित रूप से अद्यतन की गई थी। ट्रस्टों के लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक लेखों में भी बकाया डीएमएफटी अंशदान का विवरण उपलब्ध नहीं था और किसी भी ट्रस्ट ने डीएमएफ-वेबसाइट पर एकत्र किए गए अंशदान का त्रैमासिक विवरण प्रकाशित नहीं किया था। डीएमएफ ट्रस्टों ने कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित कार्यों का तिमाही प्रगति का प्रतिवेदन तैयार नहीं किया। चूंकि वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गए थे, इसलिए इन्हें नियमानुसार राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

संस्थागत व्यवस्था, खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की पहचान, डीएमएफटी निधि का संग्रह और उपयोग, परियोजना प्रबंधन और निगरानी के सूक्ष्म विश्लेषण से पता चला कि चयनित जिलों मे परियोजनाओं के कार्यान्वयन की योजना कमजोर थी क्योंकि प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप गैर-खनन प्रभावित क्षेत्रों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन हुआ। डीएमएफटी अंशदान को नियमों के अनुसार ब्याज अर्जक निजी निक्षेप खातों में जमा नहीं किया जा रहा था। डीएमएफटी अंशदान की निगरानी के लिए तंत्र की कमी के कारण ₹ 20.80 करोड़ का डीएमएफटी अंशदान प्राप्त नहीं हुआ। भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत, निधि को राज्य स्तर की एजेंसियों में हस्तांतरित किया गया। कार्यान्वयन एजेंसियों ने आरटीपीपी अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्यों को निष्पादित किया।

राजस्थान डीएमएफटी नियमों में यह प्रावधान है कि ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियाँ राज्य और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं की पूरक होनी चाहिए। हालाँकि, इन गतिविधियों को राज्य योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन माना गया। चयनित जिलों में, कुल ₹ 57.05 करोड़ के दस कार्यों/परियोजनाओं को महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण विभाग (2018-19 से 2023-24) के बजट में शामिल किया गया था। अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को इन विभागों द्वारा पहले से अनुमोदित कार्यों/परियोजनाओं के लिए राशि जारी करने हेतु डीएमएफ ट्रस्टों की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश दिया। संबंधित गवर्निंग काउंसिल ने भी तीन कार्यों/परियोजनाओं को छोड़कर इसे मंजूरी दे दी। इस प्रकार डीएमएफटी निधियों का उपयोग बजटीय कार्यों/परियोजनाओं के लिए किया गया जो वित्तीय अनुशासन के सिद्धांत के विपरीत था।

राजस्थान डीएमएफटी नियमों के अनुसार प्रबंध समितियों की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों में ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं। जून 2016 और मार्च 2023 के बीच आवश्यक 205 बैठकों में से केवल 66 बैठकें ही हुईं। भरतपुर (2016-17, 2022-23), भीलवाड़ा (2016-17, 2021-22), बाड़मेर (2019-20, 2022-23) और सीकर (2022-23) में कोई बैठक नहीं हुई।

राजस्थान डीएमएफटी नियमों के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है। हालाँकि, कुछ जिलों में, नियमों के अनुसार ये बैठकें आयोजित नहीं की गईं। आवश्यक 135 बैठकों में से केवल 35 बैठकें ही आयोजित की गईं। बाड़मेर जिले में, अप्रैल 2021 के बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। इसके बावजूद, विभिन्न कार्यों के लिए कुल ₹13.22 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियाँ गवर्निंग काउंसिल की स्वीकृति के बिना जारी कर दी गईं।

आगे, डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गयी। डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा आयकर विवरणी दाखिल नहीं की जा रही थी, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 10 (46) के तहत आयकर से छूट उपलब्ध नहीं थी। डीएमएफ ट्रस्टों में ट्रस्टी समय पर नियुक्त नहीं किए गए थे। गवर्निंग काउंसिल और प्रबंधन समितियों की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित नहीं की गईं। कार्यान्वयन एजेंसियों को दी गई अग्रिम राशि की निगरानी नहीं की गई। डीएमएफटी अंशदान के विलंबित जमा पर ब्याज संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा नहीं लगाया गया। खनन पट्टे/अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन को निरस्त किए गए खनन पट्टे एवं अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया, हालांकि, इसे डीएमएफटी निधि में जमा नहीं किया गया क्योंकि केवल जब्ती आदेश जारी किए गए थे लेकिन उनका नकदीकरण नहीं किया गया।

विभाग द्वारा अपनाये गए अच्छे प्रयास

डीएमएफटी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले के खनन क्षेत्र में श्रमिकों की स्वास्थ्य जाँच के लिए एक मोबाइल चिकित्सा वैन का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य संभावित सिलिकोसिस रोगियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करना है। नवंबर 2021 से मार्च 2023 के बीच, 294 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 19,671 व्यक्तियों को शामिल किया गया और सिलिकोसिस के 1,952 संदिग्ध मामलों की पहचान की गई, जिनमें से 144 रोगियों को सिलिकोसिस प्रमाण पत्र दिए गए। इस पहल ने शीघ्र निदान और खनन श्रमिकों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि सरकार/विभाग निम्नलिखित पर विचार करे:

- *डीएमजीओएमएस के अंतर्गत एक मॉड्यूल विकसित करना, जो देय डीएमएफटी अंशदान की देय राशि की निगरानी कर सके, समय पर जमा सुनिश्चित करे और विलंबित भुगतान पर ब्याज लगा सके।*
- *खनिजों की अनधिकृत/अवैध उत्खनन या परिवहन के मामलों से प्राप्त राशि को डीएमएफटी को हस्तांतरित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए।*
- *खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने और पीएमकेकेकेवाई के तहत इन प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान हेतु एक अध्ययन कराना।*
- *त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों और वार्षिक प्रतिवेदनों की तैयारी और प्रस्तुति हेतु मानकीकृत प्रोटोकॉल विकसित करना और उनका पालन कराना। इन प्रतिवेदनों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना ताकि पारदर्शिता और निगरानी में सुधार हो।*
- *डीएमएफ ट्रस्टों को यह निर्देश दिए जाएं कि वे विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान करें ताकि निधि का लाभ वास्तव में प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को दिया जा सके।*
- *राज्य बजट की योजनाओं हेतु विचलित की गई निधियों को वापस किया जाए।*
- *अनियमित स्वीकृतियों को रोकने हेतु जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों को एक चेक लिस्ट जारी की जाए।*
- *प्रबंधन समिति के लिए अधिक कड़े उत्तरदायित्व तंत्र स्थापित किए जाएँ, ताकि वार्षिक लेखों एवं कर विवरणियों के अंतिमीकरण एवं प्रस्तुतिकरण हेतु समुचित एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।*
- *ग्राम सभाओं और गवर्निंग काउंसिल की सिफारिशों के अनुसार ट्रस्टियों की समय पर नियुक्ति की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किया जाए।*
- *गवर्निंग काउंसिल एवं प्रबंध समितियों की नियमित बैठकों की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किया जाए, ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों की कार्यप्रणाली तथा लक्षित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों को प्रदत्त लाभ की समीक्षा की जा सके।*

वर्ष के दौरान खान एवं भूविज्ञान विभाग की 32 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

- न तो अल्पावधि अनुज्ञापत्र सावधानीपूर्वक जारी किए गए, और ना ही उनका आंकलन ठीक से किया गया। सार्वजनिक निर्माण ठेकेदारों ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना खनिजों

का उत्खनन और उपयोग किया, और विभाग लागत वसूली नहीं कर सका। इन अनियमितताओं के कारण ₹ 10.23 करोड़ की अवसूली रही।

- खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ने अनाधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों की लागत वसूल करने में विफलता दिखाई। विलंबित वसूली कार्यवाही ने पट्टेधारकों को बकाया राशि के बावजूद 0.76 लाख मीट्रिक टन बजरी निकालने और निर्गमन की अनुमति दी। इसके अलावा, अवैध रूप से उत्खनित खनिजों का कम आंकलन होने से और राजस्व हानि हुई। इन चूकों के परिणामस्वरूप ₹ 20.93 करोड़ की अवसूली हुई, जिससे पट्टेदारों को अनुचित लाभ मिला।

- विभाग *ई-रवन्ना* और *ई-ट्रांजिट* पास जारी करने के संबंध में प्रोसेसिंग शुल्क और प्रीमियम की बकाया किश्तों को वसूल करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.65 करोड़ की अवसूली हुई।

- दस पट्टाधारकों द्वारा उनके नाम स्वीकृत खनन पट्टों से जारी रवन्ना के माध्यम से अनधिकृत रूप से उत्खनित कुल 5.92 लाख मीट्रिक टन खनिजों का निर्गमन किया गया, हालांकि, संबंधित खनि अभियंता द्वारा न तो इस अवैध खनन का पता लगाया गया और न ही ₹20.23 करोड़ की खनिज के मूल्य की वसूली की गई।

- सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा ने निष्पादन प्रतिभूति राशि बकाया अनुबंध राशि के विरूद्ध समायोजित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार से ₹ 0.46 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

- चौदह सहायक खनि अभियंताओं/खनि अभियंताओं ने 48 खनन पट्टाधारकों द्वारा मासिक प्रतिवेदन विलंब से भरने पर ₹ 9.35 करोड़ की विलंब शुल्क राशि की वसूली एवं अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। साथ ही, अन्य 58 खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध विवरणी जमा न करने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

- सहायक खनि अभियंता ने अवैध खनन की मांग निर्धारित अवधि में ऑनलाइन मांग पंजिका में दर्ज नहीं की। इस चूक के कारण पट्टाधारक ने ₹ 6.33 लाख रुपये के ई-रवन्ना जारी किये जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से उत्खनित खनिजों की लागत ₹ 0.21 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की जा सकी।

- आरएमएमसी नियम, 2017 तथा राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पट्टा हस्तांतरण से संबंधित पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 7.62 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ।

III परिवहन विभाग

वर्ष के दौरान परिवहन विभाग की 21 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

- वाहन स्वामियों द्वारा 1,677 वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राशि ₹12.10 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं की।

- परिवहन विभाग द्वारा 179 पोर्टेबल वेइंग मशीनों पर ₹21.26 करोड़ का निष्फल व्यय किया, क्योंकि कमजोर निगरानी और समन्वय के कारण इन मशीनों को वाहन सॉफ़्टवेयर से एकीकृत (इंटीग्रेट) नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ये मशीनें अनुपयोगी हो गईं।

IV वन विभाग

राजस्थान के बाघ अभयारण्यों में संरक्षण और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए 'राजस्थान में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन' पर एक लेखापरीक्षा की गई। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राज्य को वन्यजीव संरक्षण के लिए क्षेत्रों के निर्धारण करने का अधिकार प्रदान करता है। राजस्थान में 32,921 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है, जिसमें तीन बाघ अभ्यारण्य शामिल हैंः रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। दो अतिरिक्त संरक्षण, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर-करौली, क्रमशः मई 2022 और अक्टूबर 2023 में अधिसूचित किए गए। वन और पर्यावरण विभाग, प्रधान सचिव के नेतृत्व में, इन क्षेत्रों का प्रबंधन करता है, जिसमें कई स्तरों पर अधिकारी संचालन की निगरानी करते हैं। लेखापरीक्षा में 2016 से 2021 की अवधि शामिल थी, जिसमें 2022-23 तक के निष्कर्ष अद्यतन किए गए। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में भी गांवों के स्थानांतरण में देरी और संरक्षण के प्रयासों में कमियों को उजागर किया गया था।

अवधि 2016 से 2023 तक विभाग द्वारा वन्यजीव सुरक्षा और बाघ संरक्षण के प्रयासों में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई। विभाग वन्यजीव शिकार को रोक नहीं सका, जिसके परिणामस्वरूप चार बाघों की शिकार के कारण मृत्यु हो गई। इसके अलावा, महत्वपूर्ण बाघ कॉरिडोर, विशेष रूप से आरटीआर 1 और 2 के बीच, विकसित करने में विफलता के परिणामस्वरूप बाघों की अत्यधिक भीड़ और क्षेत्रीय संघर्ष हुए, जिसके कारण दस बाघों की मृत्यु हो गई।

अवधि 2016-2023 के दौरान विभाग द्वारा ख़राब वित्तीय प्रबंधन, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय और अप्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन किया गया। ₹ 539.59 करोड़ के आवंटन के बावजूद, ₹ 344.06 करोड़ का उपयोग किया गया। प्रभावी गश्त योजनाओं का अभाव, पर्याप्त कार्मिकों की कमी और अपर्याप्त सुविधाओं के कारण वन्यजीवों की सुरक्षा से समझौता किया गया। विभाग की कार्मिकों की कमी को दूर करने और पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने में विफलता के कारण वन रक्षकों पर बड़े क्षेत्रों की निगरानी का बोझ पड़ा।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों का पालन न करने से स्थिति और खराब हो गई, विशेष रूप से एसटीआर के आसपास, जहां अभयारण्य के निकट खनन जारी रहा।

बाघ अभयारण्यों को सुरक्षित रखने एवं उनका प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण विफलताएँ रहीं, जिससे संरक्षण प्रयासों को ख़तरा उत्पन्न हुआ। विभाग ने बाघ अभयारण्यों के लिए भूमि का पर्याप्त रूप से सीमांकन और सुरक्षा नहीं की, जिसके कारण अतिक्रमण, फसल क्षति और मवेशी चरने की घटनाएँ हुईं। विभाग अभयारण्यों के पास अवैध खनन को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा, जिससे वन्यजीवों एवं आस-पास के पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा था। विभाग के पास आक्रामक प्रजातियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक नीति का भी अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त प्रयास किए गए।

बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों से गांवों को विस्थापित करने और संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने में कमियां थीं। आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 108 नियोजित गांवों के विस्थापन में से, मार्च 2023 तक केवल 15 को पूरी तरह से और 17 को आंशिक रूप से विस्थापित किया गया था। विस्थापन की इस धीमी गति के परिणामस्वरूप आवंटित धन का कम उपयोग हुआ। अधूरे विस्थापन के कारण अभयारण्य के भीतर अनियंत्रित मवेशी चराई और वन्यजीवों द्वारा फसल की क्षति जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि सरकार/विभाग इन पर विचार कर सकते हैं:

- ***अवैध शिकार पर रोक लगाकर बाघों की मृत्यु दर को कम करने के लिए एसटीएफ की स्थापना जैसी ठोस कार्रवाई करना।***
- ***क्षेत्रीय संघर्षों से बचने के लिए, आवश्यक गतिविधियों को अंजाम देकर कॉरीडोर के विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही करना।***
- ***बाघ अभयारण्यों में पर्याप्त पशु चिकित्सा कार्मिकों एवं गश्ती कार्मिकों के पदस्थापन के लिए कार्रवाई करना।***
- ***बाघ अभयारण्यों की सीमाओं का स्तंभों, दीवारों या बाड़ का उपयोग करके निर्दिष्ट समय सीमा में सीमांकन करना तथा सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।***
- ***पर्याप्त वित्त पोषण के साथ आक्रामक प्रजातियों के आंकलन और उन्मूलन के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करना।***
- ***पुनर्वास पैकेज की समीक्षा कर इसे अधिक आकर्षक बनाया जाए ताकि ग्रामीणों के बीच पुनर्वास के लिए इसकी स्वीकार्यता बढ़ाई जा सके और***

- *निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक अभियान के रूप में विस्थापन कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना करना।*

V जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

वर्ष के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 47 इकाइयों की लेखा परीक्षा की गई। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

- विभाग ने सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना 50 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त कार्य मात्रा, जिसकी राशि ₹ 3.38 करोड़ थी, का निष्पादन किया।

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सार्वजानिक निर्माण विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना स्वच्छ जल मुख्य पाइपलाइन बिछाई। इसके परिणामस्वरूप पाइपलाइन को पुनः बिछाने में राजकीय कोष पर ₹1.24 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

VI देवस्थान विभाग

वर्ष के दौरान देवस्थान विभाग की छः इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं।

- देवस्थान विभाग ने सतही अधिकार धारकों द्वारा सतही किराया भुगतान दायित्वों के अनुपालन की निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप लम्बे समय तक भुगतान नहीं किया गया। इसी कारण राशि ₹ 0.76 करोड़ के सतही किराया एवं उपार्जित शास्ति ब्याज की वसूली का अभाव रहा।